नगर निगम ने आम सूचना जारी कर लोगों को चेताया

शहर में बगैर स्वीकृत नक्शा के बने रहे भवन होंगे सील

आरिफ, हजारीबाग

शहरी क्षेत्र में बगैर स्वीकृत नक्शा के बने रहे भवन निर्माण कार्य पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में नगर निगम के कार्यपालक अभियंता की ओर से आम सूचना जारी हुई है. इसमें कहा गया है कि नगर नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य से पहले नक्शा पास होना जरूरी है. झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की धारा-428 के अनुरूप स्वीकृत नक्शा के बगैर या फिर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं करना म्यूनिसिपल एक्ट का उल्लंघन है. आम सूचना के अनुसार, नियम विरुद्ध निर्माण कार्य में जुटे लोगों के निर्माणाधीन भवनों को सील और ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गयी है. हालांकि, नगर निगम प्रशासन की ओर से भवनों को सील या डिमॉलिशन करने की कोई सूची अब तक जारी नहीं की गयी है.

झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट-2011 की धारा-428 के अनुरूप नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी

नगर निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोग ऑनलाइन सिस्टम से पारित करा सकते हैं नक्शा

नगरवासी ये काम करें

[illegible]

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 31-12-2022

निगम क्षेत्र में बायलाज के अनुसार ही बनाएं बिल्डिंग

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में प्लानिंग और स्वीकृत नक्शा के अनुसार बिल्डिंग्स का निर्माण हो ताकि शहर का विकास सिस्टेमेटिक तरीके से हो, शहर सुंदर लगे, साफ सुथरा रहे। हजारीबाग नगर निगम में शुक्रवार को अनुज्ञप्ति धारी इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट के साथ टाउन प्लानर आलोक नारायण ने बैठक की तथा उन्हें भवन निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान एप्रूवल मैनजेमेंट सिस्टम के माध्यम से झारखंड बिल्डिंग बायलाज 2016 के अनुसार बिल्डिंग्स का नक्शा पास करवा के ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा। साथ ही निर्माणाधीन साइट पर स्वीकृत नक्शा रखने के लिए कहा ताकि निगम का कोई भी प्रतिनिधि देख कर आश्वस्त हो सके। साथ कार्य शुरू होने पर निगम को सूचित करने के लिए कहा जिससे नार्म्स के अनुसार जेई जाकर चेक कर सकते हैं। बैठक में नगर निगम के टाउन प्लानर आलोक नारायण, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों में संतोष कुमार चौधरी, मनीष कुमार मिन्हा, बलराम प्रसाद जायसवाल, राहुल कुमार, विजय प्रताप, रजनी कुमारी, मो सैफुल्लाह, विवेक कुमार तथा निगम की नक्शा विभाग की टीम के प्रदीप, विक्रम, दीपक आदि उपस्थित थे।

एलटीपी के साथ निगम में हुई बैठक में शामिल लोग।

अपना शहर

एक्ट्रो गाइड

प्रभात खबर
रांची, मंगलवार
27.12.2022

हजारीबाग | आज सूर्यास्त 05:09 बजे | कल सूर्योदय 06:28 बजे | prabhatkhabar.com

पांच सालों में 6545 होल्डिंग नंबर आवंटित, नक्शा के लिए 544 आवेदन ही आये

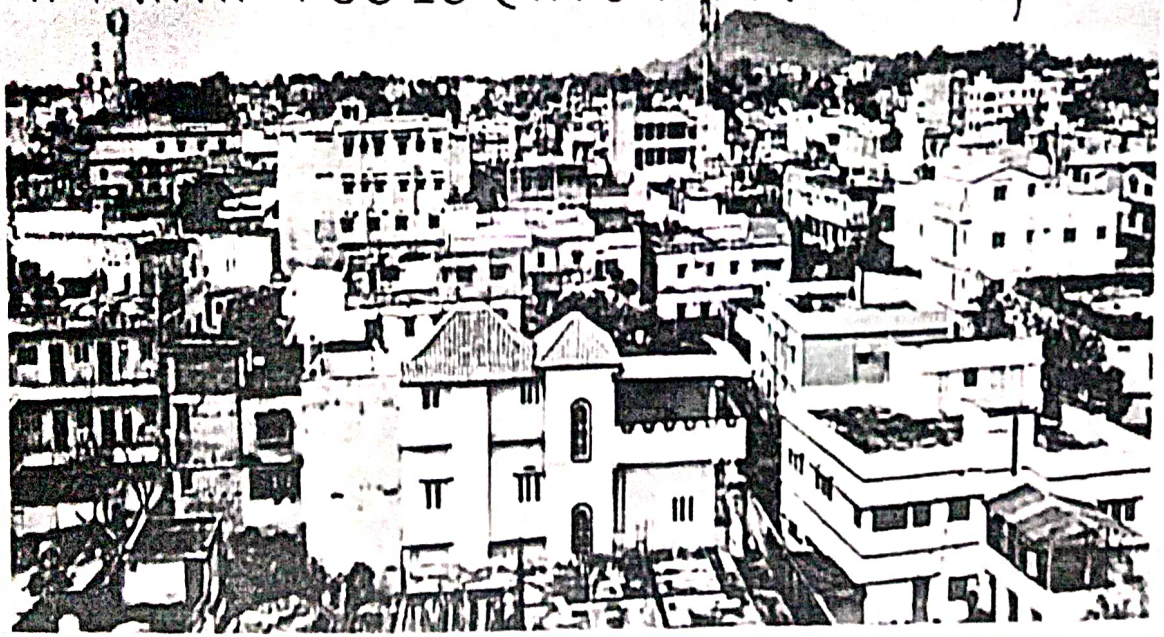

प्रभात खबर, हजारीबाग

पांच साल में होल्डिंग का आंकड़ा

छठ तालाब मंदिर के समीप पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

निगम प्रशासन अवैध निर्माण पर आवश्यक कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतेगा: शताब्दी मजूमदार

हजारीबाग: हजारीबाग निगम क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से बन रहे किसी भी निर्माण कार्य का जांच की जा रही है। इसी के आलोक में सोमवार को नगर आयुक्त के आदेशानुसार सहायक नगर आयुक्त शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में इन्द्रपुरी चौक छठ तालाब के पास अनाधिकृत निर्माण कार्य को रूकवाते हुए वहां बन रहे निर्माण को बुलडोजर से धवस्त किया गया। पूर्व में भी उक्त भूखण्ड के अनाधिकृत निर्माण कार्य को नगर निगम के द्वारा रोकने हेतु आदेश दिया गया था। इसके वावजूद भी दो-तीन दिनों से निर्माण कार्य किया जा रहा था। नगर निगम के संज्ञान में आते ही यह कदम उठाया गया। इस दौरान श्रीमति मजूमदार ने कहा कि जब तक दस्तावेज सही नहीं मिल जाता तब तक यह निर्माण कार्य पूर्णतः रूप से वंद रहेगा। वता दें कि उक्त जमीन ट्रस्ट की है और ट्रस्ट मेंबर की पत्नी आरती गुप्ता है। कहा कि दो बार निर्माण कार्य को रोकने की हिदायत दी गयी थी। निर्माण कार्य नहीं रोकने पर यह कारवाई की गयी। नियमसंगत तरीके से कागजात प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जायेगी। निगम प्रशासन आवश्यक कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतेगा। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले नगर निगम, हजारीबाग कार्यालय से नक्शा की स्वीकृति करा लें। अन्यथा नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस अभियान में राज्य सेवा के तीन सहायक नगर आयुक्त मुक्ति किरो, स्मिता किरण, अशोक कुमार हसदा, आलोक नारायण, टाउन प्लानर, संजय कुमार सिंह, कनीय अभियंता, विनय कुमार, सहायक आदि उपस्थित थे।

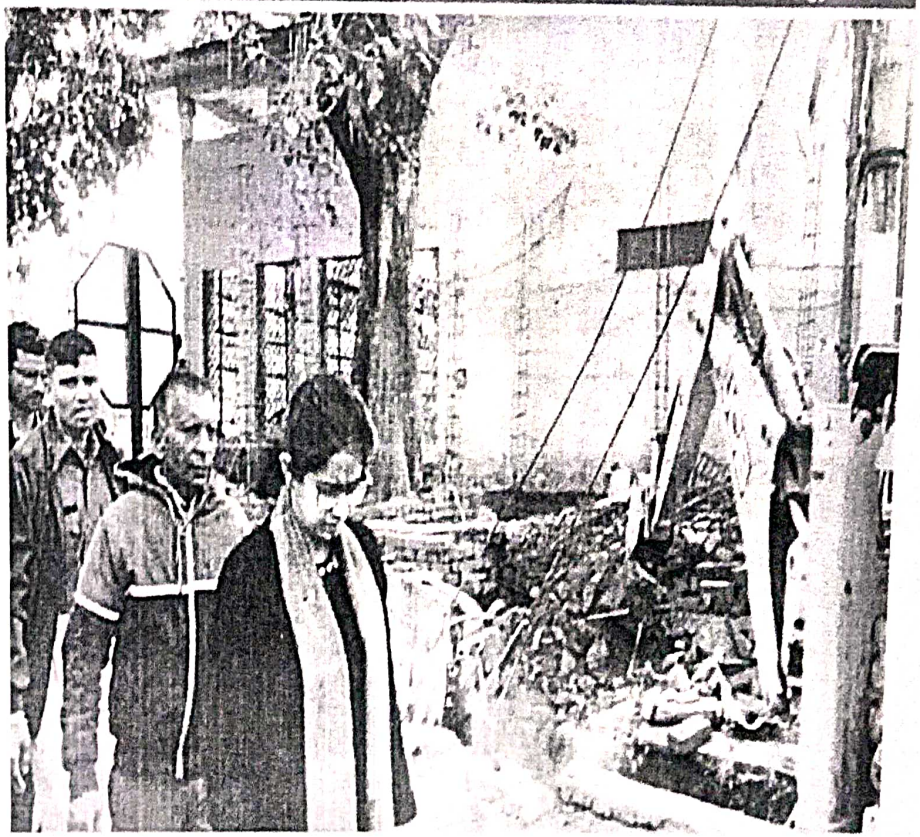

दैनिक भास्कर हजारीबाग 20-12-2022

हजारीबाग भास्कर

बरही • बिष्णुगढ़ • दारू बड़कागांव • चौपारण dainikbhaskar.com

छठ तालाब दुर्गा पूजा समिति ने डीसी से लेकर सीएम तक को लिखा पत्र, किया तालाब की जमीन को बचाने का आग्रह

छठ तालाब की जमीन पर रोक के बाद बन रहे भवन को किया ध्वस्त

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

हजारीबाग नगर आयुक्त के आदेशानुसार सहायक नगर आयुक्त शताब्दी मजूमदार के नेतृत्व में इंद्रपुरी चौक छठ तालाब के पास अनधिकृत निर्माण कार्य को रुकवाते हुए वहां बन रहे प्लिंथ लेवल तक के निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। पूर्व में भी उक्त भूखण्ड के अनधिकृत निर्माण कार्य को नगर निगम द्वारा रोकने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी दो-तीन दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। नगर निगम के संज्ञान में आते ही यह कदम उठाया गया। कहा कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले नगर निगम, हजारीबाग कार्यालय से नक्शा की स्वीकृति करा लें। अन्यथा नगरपालिका अधिनियम 2011 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में राज्य सेवा के नोन सहायक नगर आयुक्त [illegible] स्मिता किरण, अशोक कुमार हंसदा, आलोक नारायण, टाउन प्लानर मनोज कुमार सिंह, कनीय अभियंता निरंजन कुमार, सहायक आदि उपस्थित थे।

सुब्रत गुप्ता ने मंदिर को दान दी थी जमीन

सुब्रत कुमार गुप्ता उर्फ डाकू बाबू मंदिर को जमीन दान पर दी थी। इस जमीन पर दुर्गा मंडप साईं मंदिर सूर्य मंदिर आदि हैं वहीं खाली पड़ी जमीन पर लोग गुमटी लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे थे। अचानक से सभी गुमटियां हट गई और वहां निर्माण कार्य शुरू हो गया। काम इतना तेजी से किया जा रहा है कि पिलर खड़ा हो गया है नई दुकान निर्माण के लिए सामग्री इकट्ठा कर ली गई है। यह देख पूरे शहर में चर्चा बनी हुई है कि धार्मिक स्थल और सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध जमीनों पर भी माफियाओं की नजर पड़ गई है। इस संबंध में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि इसके पीछे जमीन का मालिकाना हक और अदालती निर्णय है। लोगों ने बताया कि 1952-53 में तालाब के उत्तरी छोर पर भिड़ स्थित उक्त जमीन पर दुर्गा पूजा आयोजन की शुरुआत हुई। तभी यह मामला अदालत पहुंच गया। अदालती प्रक्रिया पूरी हुई और इस जमीन को पूजा स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसके लिए 11 सदस्य ट्रस्ट का गठन भी किया गया।

37 लोगों ने सीएम, सांसद, विधायक समेत कई लोगों को लिखा पत्र

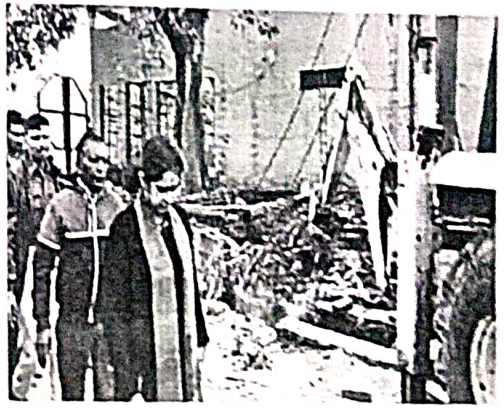

छठ तालाब दुर्गा पूजा समिति नवाबगंज के [illegible] कुमार सिन्हा, [illegible], [illegible] प्रसाद, सुधीर कुमार सिन्हा, [illegible] कुमार पांडे, [illegible] कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, [illegible] किशोर, विजय कुमार, [illegible] प्रसाद समेत 37 लोगों ने मुख्यमंत्री, सांसद, [illegible] सदर विधायक मनीष जायसवाल, [illegible], उपायुक्त और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर उक्त तालाब के [illegible] को रोकने एवं इस जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। पत्र के साथ [illegible] में [illegible] भी संलग्न किया गया है।

1971 में ट्रस्ट का हुआ था गठन

लोगों ने बताया कि सभी कोर्ट के निर्णय के बाद 11 अक्टूबर 1971 को [illegible] ट्रस्ट का गठन हुआ था। इसमें सुब्रत कुमार गुप्ता उर्फ डाकू बाबू, [illegible] कुमार गुप्ता, [illegible] प्रसाद यादव, लोकनाथ प्रसाद [illegible], [illegible] लाल, [illegible] प्रसाद, [illegible] प्रसाद, [illegible] किशोर प्रसाद, [illegible] लाल का नाम शामिल है। वर्तमान में ट्रस्ट के सदस्यों में अब [illegible] प्रसाद ही जीवित हैं। लोगों के मुताबिक लोगों के मरने के बाद ट्रस्ट के लिए 11 सदस्यों का गठन होना आवश्यक है लेकिन न तो [illegible] किया गया और न ही ट्रस्ट का [illegible] हो पाया है। [illegible] इस जमीन पर कब्जा करने की [illegible] है।

भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण अभियान:बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्यों को नगर निगम की टीम ने कराया बंद

हजारीबाग नगर निगम, क्षेत्र अंतर्गत गैर कानूनी ढंग से भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण अभियान प्रेरणा दीक्षित, नगर आयुक्त के आदेशानुसार शताब्दी मजूमदार, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हजारीबाग की अगुवाई में चलाया गया। निरीक्षण के दौरान मंगलवार को निर्माणाधीन जीएम ग्रुप कॉलेज के पांचवें तल और टेरेस फ्लोर का काम रोक दिया गया।

बेसमेंट में भी कार्रवाई हुई। कॉलेज के संचालक ने बताया कि नक्शा के लिए नगर निगम के पास पहले से ही फिश जमा है। भवन का निर्माण नियमानुसार कराया गया है। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम की टीम के द्वारा वीरेंद्र मेहता, कोर्रा, रमेश मेहता, कोर्रा, आशा अर्पाटमेंन्ट, मुनका बगीचा, मयूरी होटल, जुलू पार्क, शौर्या मोती टावर, झील रोड, माउंट कार्मल स्कूल हरणगंज, मंडल लोज, कोर्रा चौक, मास्टर लॉॅज, कोर्रा चौक हजारीबाग के निर्माण का निरीक्षण किया गया। सभी भवन निर्माता को उचित आकार में ओपन स्पेस, ड्रेनेज, प्लान, रोड, रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर एप्रूवल, बिल्डर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप दिशा निर्देश दिए गए हैं।

गैर कानूनी ढंग से बहुमंजिला भवन निर्माण को लेकर चलाया गया निरीक्षण अभियान

नगर आयुक्त के निर्देश पर जीएम ग्रुप कॉलेज के बेसमेंट फ्लोर हुआ सील

झारखण्ड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप करें भवन का निर्माण: शताब्दी मजूमदार

हजारीबाग: नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गैर कानूनी ढंग से भवन निर्माण कार्य हेतु प्रेरणा दीक्षित, नगर आयुक्त के आदेशानुसार शताब्दी मजूमदार, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हजारीबाग के अध्यक्षता में अनाधिकृत बहुमंजिला भवनों को निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंगलवार को निर्माणाधीन जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेज के 5वें तल्ले, टेरेस फ्लोर और बेसमेंट फ्लोर को सील कर दिया गया। बता दें कि पूर्व में भी जीएम ग्रुप कॉलेज को निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस किया गया था, लेकिन औचक जाँच के क्रम में निर्माण कार्य होते हुए पाया गया। साथ ही उनके पास स्वीकृत नक्शा भी उपलब्ध नहीं था और ना ही किसी भी फ्लोर का नक्शा स्वीकृत था। वहीं बेसमेंट में भी कक्षाएं चल रही थी, जिसके बाद तत्काल सहायक नगर आयुक्त ने बेसमेंट फ्लोर को सील कर दिया। जांच टीम में अलोक नारायण टाउन प्लानर, नगर निगम हजारीबाग के साथ विक्रम कुमार, तहसीलदार, मनोज कुमार सहायक आदि उपस्थित थे।

इन क्षेत्र के भवनों का किया गया निरीक्षण : निरीक्षण के क्रम में पदाधिकारियों ने कोर्ग के बिरेन्दर मेहता और रमेश मेहता, मुनका बगीचा के आशा अर्पाटमेन्ट, जुलू पार्क के मयूरी होटल, झील रोड़ के शौर्या मोती टावर, हरणगंज के माउंट कार्मेल स्कूल, कोर्ग चौक के मंडल लॉज और मास्टर लॉज के निर्माण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी भवन निर्माता को प्रोपर ओपने स्पेस, ड्रेनेज प्लान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर सेफ्टी का प्रमाण, बिल्डर रजिस्ट्रेशन हेतु भी झारखण्ड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप दिशानिर्देश दिये गये है। इसके आलोक में सभी भवन निर्माता को नियमानुसार कार्रवाई करने का बात कही गई। साथ ही स्वीकृत नक्शा कार्यालय में समर्पित करने को कहा गया।

यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण एक-दूसरे को परेशानी में डाल रहे लो[illegible]

[illegible]हर की हर सड़कें जाम, दो सौ [illegible]मीटर जाने में लग रहे दो घंटे

जाम का झाम

[illegible] हमारे प्रतिनिधि। शहर [illegible] जाम लगा [illegible] वाहन चालकों से लेकर पैदल [illegible] राहगीर भी जाम की [illegible] में जूझते रहे। [illegible] अधिक जाम [illegible] चौक, [illegible] और बस स्टैंड मार्ग में [illegible] बाइक और टोटो चालकों ने [illegible] रोड में ऐसा जाम [illegible] घंटों [illegible] रहे। [illegible] की गाड़ी भी जाम में फंसी रही। [illegible] ऑटो और बाइक चालक दायीं [illegible] रास्ता छोड़ने की बजाय आगे [illegible] इससे पूरा मार्ग ही बंद हो [illegible] स्थिति ऐसी थी कि वाहनों को [illegible] की जगह नहीं मिल रही थी। दो [illegible] मीटर की दूरी तय करने में लोगों [illegible] दो घंटे का समय लगा। [illegible] मिलकर यही स्थिति कमोबेश [illegible] महाविद्यालय रोड में भी थी। [illegible] चौक, समाहरणालय चौक [illegible] में भी जाम से लोग परेशान रहे। [illegible] नवाबगंज रोड में [illegible] मजार [illegible] में पहुंचने वाले अकीदतमंदों [illegible] भारी परेशानी का सामना करना

[illegible] में [illegible] की जाम में फंसे [illegible]

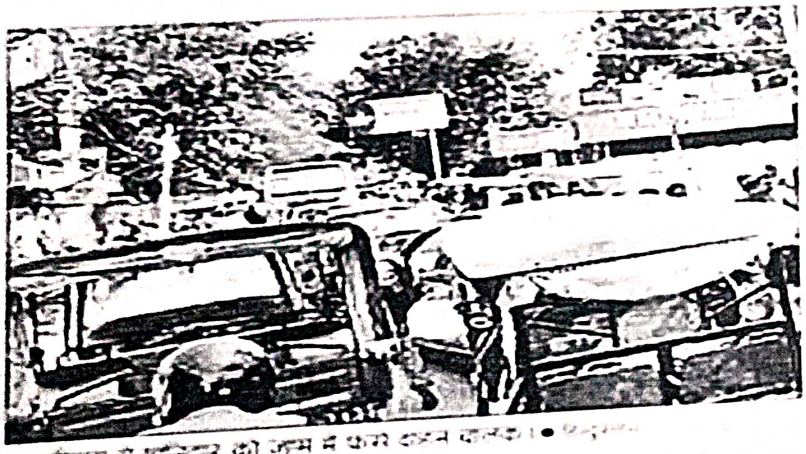

पड़ा। सड़क के किनारे फुटपाथी दुकानों और जहां-तहां वाहनों के खड़ा करने से मेला स्थल पर जाम का नजारा बना रहा।

इसके अलावा बाबा के मजार पर चादर चढ़ाने अकीदतमंदों की लंबी कतार लगी रही। बाबा के भक्त [illegible] के साथ चादर चढ़ाने पहुंचते रहे। इधर रूट समाहरणालय से इसमें ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। [illegible] को जिला परिषद रोड, झील रोड, [illegible] चौक रोड, [illegible] चौक, [illegible]

[illegible] ट्रैफिक पुलिस को [illegible] हो गई। [illegible] वाले अकीदतमंद, [illegible] वाले [illegible] और [illegible] वाले शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

शहर में वाहनों का प्रवे[illegible]
करने पर लगेगा टैक्स[illegible]
चार करोड़ का हुआ टें[illegible]

[illegible]

नगर आयुक्त ने गैर कानूनी ढंग से हो रहे भवन निर्माण का किया निरीक्षण

नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों के 14 लोगों को दिया गया नोटिस

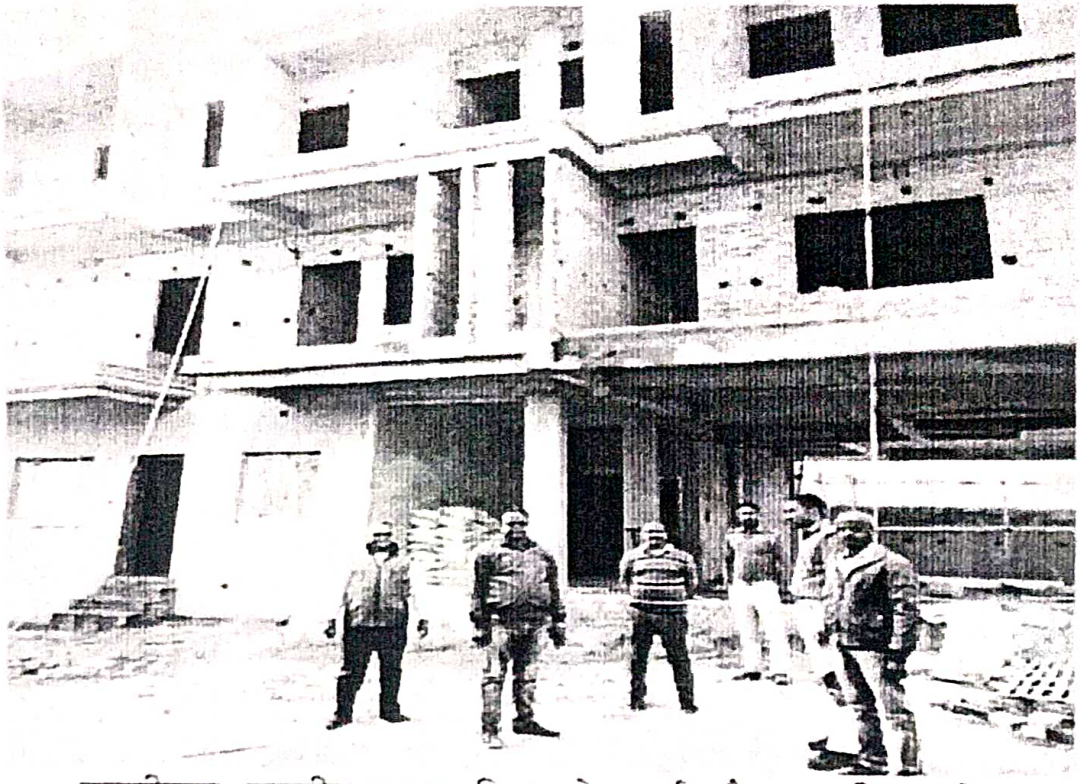

हजारीबागः हजारीबाग नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गैर कानूनी ढंग से भवन निर्माण कार्य हेतु नगर आयुक्त, के आदेशानुसार अनाधिकृत आवासीय भवनों को निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहे है। निरीक्षण के दौरान 6, 8 व 10 दिसंबर 2022 को वार्ड संख्या 11, 25 के हरणगंज, बुढ़वा महादेव रोड, कानी बाजार, गाँधी मैंदान पूर्वी में निम्नलिखित भवनों का जांच किया गया। इसमें अमरजीत, गाँधी मैंदान पूर्वी निर्माण किया गया, स्वीकृत नक्शा समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वहीं पाण्डेय गर्ल्स होस्टल, राँची पटना रोड, अजय नारायण, कोओपरेटिव कॉलोनी, महेश प्रसाद, कोओपरेटिव कॉलोनी, उषा देवी पति रामेश्वर प्रसाद, कोओपरेटिव कॉलोनी, काशी नाथ महतो पिता रघुनी महतो, कोओपरेटिव कॉलोनी, राकेश चौधरी, आईजीएमए बिल्डर बंगाली कॉलोनी बिल्डर रजिस्ट्रेसन गठित टीम को नहीं दिखाया गया। साथ ही स्वीकृत नक्शा एवं बिल्डर रजिस्ट्रेसन समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वहीं डॉ संजय जयसवाल, बड़कागांव रोड, सुरेश जैन, कानी बाजार, दीपक साव, कानी बाजार, निशांत कुमार सिन्हा, बुढ़वा महादेव रोड, तिस्रा तल्ला का निर्माण कार्य चल रहा था, बिल्डिंग मटेरियल से सड़क को अतिक्रमण किया गया था, गठित टीम द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया। वहीं डॉ. मनोज कुमार सिंह, बुढ़वा महादेव रोड, विक्रम कुमार, हरणगंज, अर्चना मरांडी, हरणगंज, सुशील लकरा, हरणगंज हजारीबाग में निरिक्षण किया गया। सभी भवन निर्माता को ओपन स्पेस, ड्रेनेज प्लान हेतु भी झारखण्ड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप दिशानिर्देश दिये गये है। इसके आलोक में सभी भवन निर्माता को नियमानुसार कारवाई करने की बात कही गई तथा स्वीकृत नक्शा कार्यालय में समर्पित करने को कहा गया। जांच के क्रम में जांच टीम में सहायक निदेशक, नगर निगम, हजारीबाग के साथ विक्रम कुमार, [illegible]

शहरी क्षेत्रों में कमर्शियल वाहनों को प्रवेश करने पर देना होगा चुंगी कर

हज़ारीबाग़ – नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में एक बंदोबस्ती हुई। जिसमें हजारीबाग शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने पर कॉमर्शियल वाहनों को चुंगी पर कर देना होगा । शहर में छह मुख्य स्थान चिन्हित किया गया है जो कि यह स्थान सिरसी नदी से सिरसी चौक, कूद रेल ब्रिज के पास , चतरा रोड, बाजार समिति के पास, नूतन नगर चौक के पास, तथा क्षितिज हॉस्पिटल के पास है। इस बंदोबस्ती में 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया , इसमें डेढ़ करोड़ से बोली शुरू की गई । जिसमें पुरुषोत्तम लाल सरोज को चार करोड़ रुपए में यह बंदोबस्ती दी गई।

इस बंदोबस्ती में कार्यपालक अभियंता रमेश सिंह , नगर प्रबंधक विकास मंडल, कनीय अभियंता संजय सिंह, प्रधान सहायक निरंजन सिंह तथा अन्य कर्मी उपस्थित थे।

10.12.22

हजारीबाग नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत गैर कानूनी ढंग से भवन निर्माण कार्य हेतु नगर आयुक्त, के आदेशानुसार अनाधिकृत आवासीय भवनों को निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहे है। निरीक्षण के दौरान दिनांक 06.12.2022, 08.12.2022 एवं 10.12.2022 को वार्ड संख्या 11, 25 के हरणगंज, बुढ़वा महादेव रोड, कानी बाजार, गाँधी मैंदान पूर्वी में निम्नलिखित भवनों का जांच किया गया :— (1) अमरजीत, गाँधी मैंदान पूर्वी(G+4 निर्माण किया गया, स्वीकृत नक्शा समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया) (2) पाण्डेय गर्ल होस्टल, राँची पटना रोड (3) अजय नारायण, कोओपरेटिव कॉलोनी (4) महेश प्रसाद, कोओपरेटिव कॉलोनी (5) उषा देवी पति रामेश्वर प्रसाद, कोओपरेटिव कॉलोनी (6) काशी नाथ महतो पिता रघुनी महतो, कोओपरेटिव कॉलोनी (7) राकेश चौधरी, IGMA Builder, बंगाली कॉलोनी,(Builder Registration गठित टीम को नही दिखाया गया) (8) डॉ. सजय जयसवाल, बडकागॉव रोड(Banquet Hall) (9) सुरेश जैन, कानी बाजार, (10) दीपक साव, कानी बाजार, (11) निशांत कुमार सिन्हा, बुढ़वा महादेव रोड,(तिसरा तल्ला का निर्माण कार्य चल रहा था, Building Material से सड़क को अतिक्रमण किया गया था, गठिन टीम द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया) (12) डॉ. मनोज कुमार सिंह, ढवा महादेव रोड (13) बिक्रम कुमार, हरणगंज (14) अर्चना मरांडी, हरणगंज, सुशील लकरा, हरणगंज हजारीबाग में निरिक्षण किया गया। सभी भवन निर्माता को Proper, Open Space, Drainage Plan, Road हेतु भी झारखण्ड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप दिशानिर्देश दिये गये है। इसके आलोक में सभी भवन निर्माता को नियमानुसार कार्रवाई करने का बात कही गई तथा स्वीकृत नक्शा कार्यालय में समर्पित करने को कहा गया। जांच के क्रम में जाँच टीम में नगर निवेशक, नगर निगम, हजारीबाग के साथ बिक्रम कुमार, तहसीलदार सुरेश राय, मनोज कुमार, सहायक आदि उपस्थित थें।

प्रभात खबर

रांची । पटना । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता । मुजफ्फरपुर । भागलपुर से प्रकाशित

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई... 08 | कारोबार | वाहन कंपनियों के लिए अच्छा रहा नवंबर... 11 | prabhatkhabar.com

नक्शा पास करने पर हाइकोर्ट की रोक, कहा : क्यों न नगर निगम व आरआरडीए के भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच हो

वरीय संवाददाता, रांची

सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त व आरआरडीए उपाध्यक्ष सशरीर उपस्थित हुए, दोनों को कोर्ट ने लगायी फटकार

हाइकोर्ट ने मामले की दो बार सुनवाई की, अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी

हाइकोर्ट ने कहा

- नगर आयुक्त व आरआरडीए उपाध्यक्ष ने भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की. इन्हें क्यों नहीं निलंबित कर दिया जाये
- राज्य सरकार से पूछा : प्रभात खबर में 29 नवंबर को छपी खबर - 20-30 रुपया प्रति वर्गफीट चढ़ावा तब पास होता है नक्शा - पर क्या कार्रवाई की
- नक्शा पास करने के दौरान आवेदकों की आपत्तियों को देखने के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की जाये
- एक जनवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक लौटाये गये नक्शे और लंबित नक्शों की विस्तृत जानकारी दें

₹20-30 प्रति वर्गफीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) में नक्शा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपये प्रति वर्गफीट अवैध वसूली... [illegible]

[illegible]

...ने आरआरडीए व नगर निगम को कार्यरत जूनियर इंजीनियर व टाउन प्लानर का ब्योरा सुनवाई के दूसरे सत्र में पेश करने का निर्देश दिया. मौखिक रूप से कहा कि आरआरडीए में 1982 के बाद से कोई स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है. नगर निगम में भी पिछले 20 वर्षों में नियुक्तियां नहीं की गयी हैं. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर काम कराया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि भवनों के नक्शा स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अवैध राशि की मांग की जाती है. [illegible]

दैनिक भास्कर
हजारीबाग 29-11-2022

निगम क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रहे निर्माण को रोका

स्वीकृत नक्शा, बिल्डर रजिस्ट्रेशन आदि जमा करने का दिया निर्देश

भास्कर न्यूज | हजारीबाग

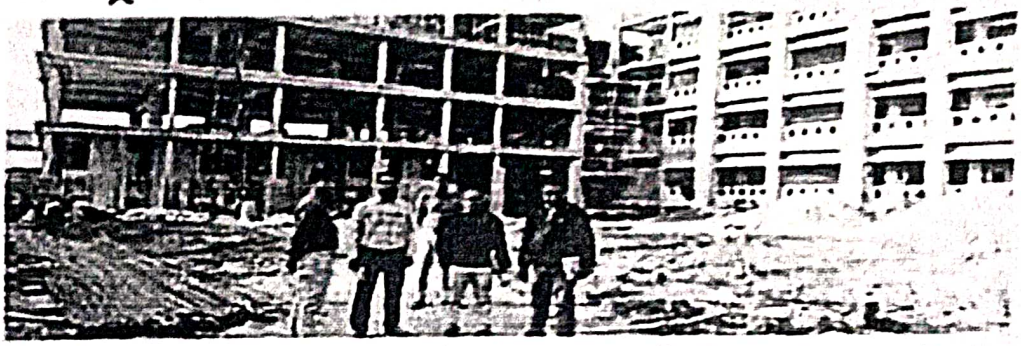

हजारीबाग नगर निगम, क्षेत्र अंतर्गत अवैध ढंग से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। अव्यवस्थित तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों के कारण आमजनों तक सड़क, वाटर सप्लाई, नाली, पार्क आदि की बुनियादी सुविधा पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही इससे निगम को राजस्व की भी हानि हो रही है। इस तरह की शिकायतों को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेशानुसार अनधिकृत बहुमंजिला भवनों को निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में निरीक्षण टीम द्वारा निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसमें नगर क्षेत्र में कई जगह गड़बड़ियां पाई गई। बताया गया है कि रंजीत कुमार, न्यू एरिया, गली नंबर 3, नंदकिशोर ठाकुर, ओमपुरी, रीना डेवलपर्स प्रा लि कोरां, सुनील कुमार गुप्ता, न्यू एरिया गली नंबर 1, माउंट फोर्ट स्कूल, दीपूगढा, किरण पाण्डेय एवं मनोज पाण्डेय, दीपूगढा, वशिष्ट नारायण कनहरी रोड नियर डी.ए.भी. स्कूल, मन्नी देवी एवं अभिमन्यु सिंह कनहरी रोड नियर डी.ए.भी. स्कूल, राजेन्द्र प्रसाद कनहरी रोड, सुष्मिता अपार्टमेंट, दीपूगढ़ा का निरीक्षण किया गया एवं निर्माण कार्य को रोका गया। सभी बिल्डर्स/भवन निर्माता को ओपन स्पेस, इनेज प्लान, गेड के लिए झारखण्ड भवन विनिमय 2016 के अनुरूप दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके आलोक में सभी बिल्डर्स को नियमानुसार कार्रवाई करने का बात कही गई तथा स्वीकृत नक्शा/बिल्डर पंजीकरण कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया। जांच टीम में नगर निवेशक के साथ विक्रम कुमार, तहसीलदार, मनोज कुमार, सहायक आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

नगर निगम की टीम ने गैरकानूनी तरीके से बनाए गए भवनों का किया निरीक्षण, पास कराए गए नक्शे को जमा करने का निर्देश

गलत तरीके से बन रहे अपार्टमेंट का निर्माण रोकने का आदेश

सख्ती

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। ...

नक्शे का विचलन कर बनाए जा रहे हैं अपार्टमेंट

- अवैध तरीके दर्जनों भवनों का हो रहा है निर्माण
- नक्शे का विचलन करने से होगी सबको परेशानी
- ड्रेनेज प्लान का खुले आम हो रहा है उल्लंघन
- निगम को राजस्व में घाटा के बाद बढ़ी सख्ती

10 से अधिक भवनों का चल रहा था गलत निर्माण

05 अधिकारियों की टीम ने किया जायजा

05 घंटे से अधिक समय तक चलती रही जांच

02 दिन बाद से और तेज होगी इसकी जांच

बिना नक्शा के घर बनाना अब होगा मुश्किल, लगेगा जुर्माना

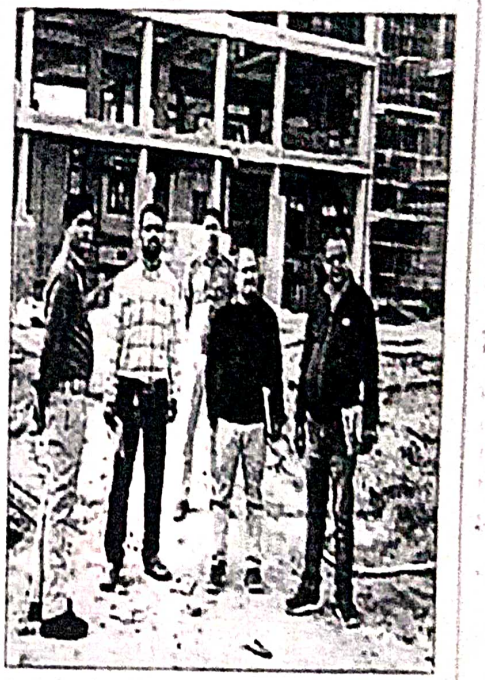

हजारीबाग। ...

जांच के दौरान इन लोगों द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर रोक

जानकारी दी गयी है. राजधानी रांची में ही 600 ट्रक बालू की हर दिन बिक्री हो रही है. इस तरह पूरे राज्य में लगभग 6605 टर्बो ट्रक बालू की खपत प्रतिदिन हो रही है. वर्तमान में एक ट्रक बालू की न्यूनतम कीमत चार हजार रुपये है. यानी प्रतिमाह लगभग 80 से 100 करोड़ रुपये बालू का अवैध कारोबार हो रहा है. इसमें हाइवा व ट्रैक्टर से होनेवाली ढुलाई भी शामिल है. अवैध कारोबार के चलते जहां रंगदार, नेता, पुलिस और अफसर मालामाल हो रहे हैं, वहीं सरकार को सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.

[illegible] में केवल 17 बालू घाटों से ही वैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है. इन घाटों की [illegible] पूरी हो चुकी है. [illegible] के [illegible] के बाद, [illegible] के [illegible] बालू घाट की [illegible] निर्धारित [illegible] नियुक्त है, जो वैध तरीके से बालू का उठाव कर सकते हैं.

घाट पर स्थानीय [illegible], फिर [illegible] का [illegible] स्थानीय [illegible] दो से पांच हजार, [illegible] राजनीतिक दलों के बीच बंटवारा, फिर [illegible] एक हजार से दो हजार [illegible] के अनुसार [illegible] के [illegible] से [illegible] हैं. [illegible] पांच दिन का पैसा ले लिया है [illegible] होने पर [illegible] फिर से [illegible].

[illegible] बालू के लिए परेशान होना पड़ता है. हमारी मजबूरी है कि प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं. [illegible] बालू खरीदना पड़ता है. समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया गया, तो पेनाल्टी भरना पड़ता है.
[illegible]

भवनों का नक्शा पास कराने के लिए चढ़ावे पर झारखंड हाइकोर्ट गंभीर, लिया स्वत: संज्ञान

वरीय संवाददाता, रांची

झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य के नगर निकायों में नक्शा पास करने के लिए 20 से 30 रुपये प्रति वर्गफीट अवैध राशि वसूली को गंभीरता से लिया है. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने 'प्रभात खबर' के 29 नवंबर के अंक में '20-30 रुपये प्रति वर्गफीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा' शीर्षक से प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लिया. इस मामले को अपील याचिका (एलपीए-132/2012) के साथ टैग करने का निर्देश दिया. साथ ही रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के उपाध्यक्ष व रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.

इससे पूर्व खंडपीठ ने रांची नगर निगम व आरआरडीए के अधिवक्ताओं को बुला कर नक्शा स्वीकृति के लिए अवैध राशि की वसूली से संबंधित जानकारी मांगी. खंडपीठ ने जानना चाहा कि नक्शा पास करने के लिए कौन राशि की मांग करता है. उल्लेखनीय है कि भवनों के नक्शा स्वीकृति के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अवैध राशि की मांग की जाती है. अवैध राशि नहीं देने पर नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता है. कई आपत्तियां लगा दी जाती हैं. नक्शा लंबित रहता है. छोटे मकान के लिए 30 से 50 हजार रुपये तथा अपार्टमेंट का नक्शा पास कराने के लिए 20-30 रुपये प्रति वर्ग फीट राशि वसूली जाती है.

इंपैक्ट

नक्शा स्वीकृति के खेल में पैसे की उगाही के मामले को प्रभात खबर ने किया उजागर

₹20-30 प्रति वर्गफीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा

अगली सुनवाई एक दिसंबर को

- आरआरडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त को सशरीर उपस्थित रहने का दिया निर्देश

प्रभात खबर के 29 नवंबर के अंक में पृष्ठ एक पर 20-30 रुपये प्रति वर्गफीट चढ़ावा, तब पास होता है नक्शा, शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है. इस रिपोर्ट पर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शांतनु रंजन ने आपत्ति व्यक्त करते हुए रिपोर्ट को गलत बताते हुए अपना पक्ष भेजा है. प्रभात खबर अपनी रिपोर्ट पर कायम है. पढ़िये रांची नगर निगम का पक्ष और संवाददाता का जवाब

रांची नगर निगम का पक्ष

नक्शा मंजूरी प्रक्रिया की जांच की, मानवीय हस्तक्षेप न के बराबर

प्रभात खबर में 29 नवंबर को छपी खबर का संज्ञान लेते हुए भवन प्लान स्वीकृति से संबंधित प्रक्रिया की जांच की गयी. वर्तमान में भवन प्लान की स्वीकृति पूर्णत: ऑनलाइन पद्धति द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है. इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं के बराबर है. इस बात की भी निरंतर निगरानी की जाती है कि भवन प्लान आवेदन लंबित नहीं रहे और ससमय आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. रांची नगर निगम में वर्ष 2016 में ऑनलाइन पद्धति लागू किये जाने के बाद अब तक 5506 भवन प्लान आवेदित हुए हैं. उनमें से 4512 भवन प्लान स्वीकृत किये जा चुके हैं, जो कि आवेदित भवन प्लान का 82 प्रतिशत है. भवन प्लान स्वीकृति के क्रम में छोटी-मोटी तकनीकी अड़चन, वह भी आर्किटेक्ट के स्तर पर, जब भी दृष्टिगत होती है, तत्काल उसका नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है. प्रभात खबर में प्रकाशित उक्त खबर सत्य प्रतीत नहीं होती है. इस खबर से अनावश्यक रूप से रांची नगर निगम की छवि धूमिल होती है एवं कार्यरत कर्मियों के मनोबल को ठेस लगती है.

संवाददाता का पक्ष

यह कैसी जांच, जहां भुक्तभोगियों से कोई बात ही नहीं हुई

हमारी रिपोर्ट पूरे राज्य के नगर निकायों के संदर्भ में है, सिर्फ रांची नगर निगम के लिए नहीं. पर प्रभात खबर ने जिस गड़बड़ी की चर्चा की है, उससे रांची नगर निगम भी अछूता नहीं है. नगर आयुक्त का पक्ष है कि सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, इसलिए गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है. प्रभात खबर उनके इस तर्क से सहमत नहीं है. प्रभात खबर ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के पहले अनेक भुक्तभोगियों से बात की थी. नक्शा जमा करने से लेकर पारित होने के बीच अनेक कर्मचारियों-इंजीनियरों व अफसरों से भुक्तभोगियों का पाला पड़ता है. अपवाद को छोड़ दें, तो अधिकांश जगह बगैर पैसा दिये काम नहीं होता है. नगर आयुक्त ने खबर छपने पर तुरंत संज्ञान लिया और जांच की, यह स्वागत योग्य है. पर इस जांच में जब तक भुक्तभोगियों से बात न हो, असली सच नगर आयुक्त को पता ही नहीं चलेगा. प्रभात खबर अपनी रिपोर्ट पर कायम है. नगर आयुक्त से यह अपेक्षा करता है कि विस्तृत जांच करा कर गड़बड़ी को दूर करने का प्रयास करें, ताकि झारखंड की आम जनता को राहत मिले, तभी निगम की छवि बेहतर बन सकती है.

दैनिक भास्कर रांची 01-12-2022

रांची फ्रंट पेज

दैनिक भास्कर, रांची, गुरुवार, 01 दिसंबर, 2022

सड़क चौड़ीकरण के लिए दान की गई जमीन पर एक शहर में दो नियम

नक्शा अनीति

खास को गिफ्ट लैंड पर कब्जे की छूट, आम को बाउंड्री तोड़ निगम का बोर्ड लगाना जरूरी

विशेष संवाददाता | रांची

नगर निगम क्षेत्र में नक्शा स्वीकृत कराने के लिए प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई के अनुसार निर्धारित जमीन निगम को गिफ्ट करनी पड़ती है। छोटे भवन के मामले में नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र पर और बहुमंजिली भवन के मामले में रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करना पड़ता है। लेकिन इस मामले में भी निगम दोहरी नीति अपना रहा है। आम आदमी को गिफ्ट की गई जमीन की बाउंड्री तोड़ पीछे हटते हुए छोड़ी गई जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। ऐसा करने पर ही उसके भवन के नक्शे को स्वीकृति मिलेगी। वहीं शहर में कई ऐसे रसूखदार हैं, जो गिफ्ट जमीन पर कब्जा कर निजी उपयोग कर रहे हैं। जैसे बरियातू रोड में बना पल्स हॉस्पिटल है। पल्स हॉस्पिटल के सामने गिफ्ट की गई जमीन पर ग्रिल लगाकर कब्जा कर लिया गया है। ग्रिल के बाहर सिक्योरिटी रूम बना है। रोड पर वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है। इसके पीछे बने राम प्यारी हॉस्पिटल के सामने भी सड़क चौड़ीकरण की जमीन पर स्लोप बना है। सर्कुलर रोड, एमजी रोड, डंगरा टोली से पहले स्थित मॉल के सामने सड़क चौड़ीकरण की जमीन पर गेट लगे हुए हैं। कई स्टॉल भी खुले हुए हैं।

ऐसे समझें... गिफ्ट की गई जमीन के लिए यह निगम का नियम

भवन का नक्शा स्वीकृत करने से पहले आवेदक को गिफ्ट की गई जमीन से बाउंड्री या निर्मित संरचना हटाकर पीछे करना पड़ता है। इसके बाद गिफ्ट की जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाकर स्वयं वहां खड़ा होकर फोटो खिंचवाना होता है। इस फोटो को मुहल्ले के तीन गवाह सत्यापित करते हैं और जूनियर इंजीनियर का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर आवेदक को नक्शा दिया जाता है।

बरियातू रोड में पल्स हॉस्पिटल के सामने गिफ्ट की गई जमीन पर सिक्योरिटी रूम बना है। सड़क पर वाहनों की पार्किंग हो रही। कई जगहों पर बाउंड्री व ग्रिल लगाकर किया कब्जा।

जमीन गिफ्ट कराने में भी बदल जाता है नियम

नगर निगम क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए जो जमीन निगम लेता है उसके लिए भी अलग-अलग नियम है। जनरल प्लॉट पर बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत होता है तो आवेदक को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड देना पड़ता है। इसमें कोर्ट फीस व अन्य खर्च लगते हैं। वहीं मोहल्लों में प्रभावित जमीन है तो सिर्फ शपथ पत्र लेकर नक्शा स्वीकृत होता है, क्योंकि आदिवासी जमीन का स्थानांतरण डीसी की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता।

कंप्यूटर पर कलाकारी कर नक्शे पास करा रहे हैं गैंग

कई ऐसे गैंग भी सक्रिय हैं, जो सड़क चौड़ीकरण के लिए गिफ्ट की जाने वाली जमीन में बाउंड्री शिफ्ट किए बिना जमीन खाली दिखा देते हैं। कंप्यूटर पर कलाकारी कर बाउंड्री को पीछे दिखा दिया जाता है और आवेदक को वहां खड़ा किया जाता है। कचहरी रोड व रेडियम रोड में ये गैंग सक्रिय हैं।

निगम के लोग संपर्क करें सूचना दें : नगर आयुक्त

नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा है कि नक्शा स्वीकृति के लिए निगम के कोई पदाधिकारी या कर्मचारी, आर्किटेक्ट या सूचीबद्ध लाइसेंस टेक्निकल पर्सन में मांगते हैं तो सूचना दें। सूचना ई-मेल आईडी ranchimunicipal.com पर मोबाइल नंबर 9431105834 पर सूचना दे सकते हैं।